कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग
देहरादून
E-mail ID – exnpdddun@gmail.com/Phone/Fax - 0135-2623746

पत्रांकः–........................../ दिनांक :–..........................

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून

विषय :– रोड़ साईड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत आपत्ति/अनापत्ति प्रमाणपत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण देहरादून का पत्र संख्या--मैमो/मानचित्र शैल/2022 दि0 12.9.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा मैसर्स महालक्ष्मी बिल्डवैल पार्टनर श्री मनजीत जौहर का मानचित्र सं0–सी0– 0125/20–21 आपत्ति/अनापत्ति प्रमाणपत्र हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में प्रस्तावित व्यवसायिक भवन का सत्यापन कियां गया। सत्यापन आख्या निम्न प्रकार से है :–

1. प्रस्तावित व्यवसायिक भवन के मुख्य भाग का निर्माण देहरादून–मसूरी मोटर मार्ग किमी0–9 है0मी0 4–6 के मध्य मार्ग की दांयी ओर मार्ग के मध्य बिन्दु से 27.20 मी0 की दूरी एवं पिछला भाग कैनाल मार्ग के किमी0–1 के बांयी तरफ मार्ग के मध्य बिन्दु से 21.72 मी0 की दूरी के पश्चात् किया जाना है।
2. वर्तमान में माग चौड़ीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है।
3. प्रस्तावित व्यवसायिक भवन का उपरोक्त दूरी के पश्चात् निर्माण कार्य किये जाने पर यातायात में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी।
4. वर्तमान में मार्ग की विभागीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रस्तावित व्यवसायिक भवन निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है :–

प्रतिबन्ध :–

1. लो0नि0वि0 की भूमि पर किसी भी प्रकार का स्थायी/अस्थायी अतिक्रमण न किया जाय।
2. उक्त स्थल पर उपलब्ध राजकीय भूमि का उपयोग वाहनों की पार्किंग हेतु न किया जाय।
3. उक्त क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण प्रस्तावित निर्माण की बुनियाद एवं ऊपरी संरचना डिजाईन एवं निर्माण मिट्टी परीक्षण उपरान्त स्ट्रक्चरल इंजीनियर की सलाह एवं विशेषज्ञ की देखरेख में किया जाये।
4. प्रस्तावित व्यवसायिक भवन का ले–आउट मार्ग के प्रभारी सहायक अभियन्ता के समक्ष किया जाये।
5. भूस्वामित्व सम्बन्धी अभिलेखों की जांच/पुष्टि, नगर निगम/राजस्व विभाग द्वारा की जायेगी।
6. मार्गो की मध्य रेखा से उपरोक्तानुसार दूरी से पूर्व मार्ग की ओर किसी भी प्रकार का कोई स्थाई/अस्थाई निर्माण न किया जाये, यदि ऐसा किया जाता है तो अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
7. व्यवसायिक भवन निर्माण सामग्री लो0नि0वि0 की भूमि पर एकत्रित न की जाये।
8. मानचित्र में प्रदर्शित सैट बैक एवं रोड़ वाइडनिंग हेतु छोड़ी गयी भूमि में किसी भी प्रकार का कोई स्थाई /अस्थाई निर्माण न किया जाये।
9. यदि विभाग को भविष्य में मार्ग चौड़ीकरण हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होती है, तो प्रार्थी को भूमि नियमानुसार विभाग को उपलब्ध करानी होगी।

अतः उपरोक्त प्रतिबन्धों के साथ मैसर्स महालक्ष्मी बिल्डवैल पार्टनर श्री मनजीत जौहर का मानचित्र सं0–सी0–0125/20–21 द्वारा प्रस्तावित व्यवसायिक भवन के मुख्य भाग का निर्माण देहरादून–मसूरी मोटर मार्ग किमी0–9 है0मी0 4–6 के मध्य मार्ग की दांयी ओर मार्ग के मध्य बिन्दु से 27.20 मी0 की दूरी एवं पिछला भाग कैनाल मार्ग के किमी0–1 के बांयी तरफ मार्ग के मध्य बिन्दु से 21.72 मी0 की दूरी के पश्चात व्यवसायिक भवन निर्माण करने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(इं0 डी0सी0 नौटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून

प0– 3869/NOC दि0– 11/10/22

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, सहारनपुर रोड़, ट्रन्सपोर्ट नगर देहरादून को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता–चतुर्थ, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को उनकी निरीक्षण आख्या दि0 1.10.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रतिलिपि अधिकृत प्रतिनिधि मैसर्स महालक्ष्मी बिल्डवैल पार्टनर श्री मनजीत, 265/614 राजपुर रोड़ देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रतिलिपि कनिष्ठ अभियन्ता–प्रा0, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

11.X.22
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,देहरादून

7/X/2022